# फर्द अहकाम

( नियम 26 )

अदालत ______________________ मुकाम ______________________

______________________ बनाम ______________________

मुकदमा ______________________ नं. ______________________ सन् ______________________

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 16/11/16 | पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त ~~अवकाश में~~ है। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 22/02/17 को पेश हो। आदेश से रीडर | |
| 22/02/17 | पत्रावली पेश उभयपक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकार जी उक्त राजकीय कार्य में है। पत्रावली दिनांक 19/06/17 को पेश हो। आदेश से रीडर | |
| 19.6.17 | पत्रावली राजस्व लोक अदालत बैठक स्थान खैराबाद पर पेश। प्रस्तुत अपील का तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिलियाकोला की आराजी नम्बर 300 रकबा 2 बीघा आराजी नम्बर 301 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा आराजी नं. 296 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा आ.नं 297 रकबा पन्द्रह बीघा सोलह बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 06 बीघा बिस्वा खातेदार ... पिता नारायण गाडरी के नाम खाते में दर्ज थी ... उक्त आराजियात में से आराजी नम्बर | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी |
|---|---|---|
| | 300 रकबा 02बीघा व आराजी नम्बर 301 रकबा 02बीघा 04 बिस्वा को रुपयों की आवश्यकता होने से होने से देवीनाथ पिता शंकरनाथ निवासी पाव्टुला के यहाँ गिरवी रखी थी बाद में रुपये प्राप्त होने पर मैं वापिस छुड़ा लूँगा। वाषित गिरवीनामा जो फर्जी विक्रय पत्र दिनांक 19 मई 1976 की आड में देवीनाथ रेस्पोंडेंट संख्या 02 ने दिनांक 20 मई 2004 में नामान्तकरण संख्या 1100 से अपने नाम दर्ज करवा ली व इन्तकाल मंजूर करवाया गया उस समय भू-प्रबंध की कार्यवाई पूर्व में सन् 1975-76 होने से दोनों नम्बरों के लिए नम्बर 30 बने हैं तथा साबिक आराजी नम्बर 296 एवं 297 के एवज आराजी नम्बर 300 व 301 हो विक्रय होना बताया है इन दोनों की साबिक आराजी नम्बर डाल 30 ही भू-प्रबंध विभाग कायम किये गये थे फिर भी अधिनस्थ ग्राम पंचायत खैरावाद ने बिना किसी आधार व अधिकार के हाल आराजी संख्या 31 व 32 में से जारी नामान्तकरण संख्या 1100 को रेस्पोंडेंट के नाम गलत दर्ज कर दिया गया।<br>अतः ग्राम पंचायत द्वारा बिना शिकायत आराजी पर को जाय कारी में किये यह नामान्तकरण जिसके कारण रेस्पोंडेंट सं 01 के नाम आदेश किया गया जो गलत है को निरस्त योग्य है | |

| नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | अतः प्रस्तुत अपील के साथ दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। | |
| | आदेश | |
| | अतः ग्राम पंचायत खैरावाद के नामान्तरकरण संख्या 1100 दिनांक 20.5.2004 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार हमीरगढ़ को रिमाण्ड किया जाता है कि सभी पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवावे। | |
| | आज दिनांक को सरे आम निर्णय सुनाया गया। | |
| | पत्रावली कौशल कुमार डबर नम्बर से जमा हो। | |
| | (हस्ताक्षर)<br>उपखण्ड अधिकारी एवं<br>पदेन सहायक कलक्टर,हमीरगढ़ | |